FORM No. III

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्ट्रर. मुकाम....खींवसर...

किस्म मुकदमा...राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर टी एक्ट

नारायणराम बनाम रूकड़ी वगै.

मु. नं.....33.....सन्..2020

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज **09.07.2020**	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	वादी ने जरीये वकील प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया । जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 13.08.2020 को पेश हो। सहायक कलक्ट्रर खींवसर	
13/8	**पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित** 1 to 4 का [illegible] प्रतिवादी ने पेश किया **पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक. 27/10 को प्रस्तुत हो।**	
	27/10/20 /पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 24/12/20 को प्रस्तुत हो।	
	24/12/20 /पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 11/3/21 को प्रस्तुत हो।	
	12/3/21 /पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 3/6/21 को प्रस्तुत हो।	
	3/6 /पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक. 5/9 को प्रस्तुत हो।	

2/7/21

[illegible] अधिवक्ता उपस्थित / [illegible] प्रकरण का लोक अदालत [illegible] करने हेतु दोनों पक्ष राजी [illegible] प्रकरण लोक अदालत में [illegible] जाता है पक्षकारान दि. 8/7/21 को लोक अदालत में उपस्थित हों।

अध्यक्ष
लोक अदालत
खीरसार

8/11/21

उक्त प्रकरण अन्य राज्य लोक अदालत प्रशासन गांधी के माध्यम [illegible]-2021, कोम्प कोर्ट ग्राम पंचायत [illegible] में पेश हुआ। उपस्थित पक्षकारान की उपस्थिति में राजीनामा करने हेतु समझाया गया। पक्षकारों के मध्य प्रकरण में राजीनामा हेतु सहमति नहीं हो पाई। अतः प्रकरण पुनः न्यायालय में दिनांक 6/1/22 को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी
प्र.ग्रा.के.अ. 2021
उपखण्ड अधिकारी
खीरसार

6/1/22
पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 21/4/22 प्रस्तुत हो।

21/4/22
[illegible]
दिनांक 28/7/22

28/7/22
पत्रावली पेश हुई।
पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है, अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली आगामी दिनांक को [illegible] को [illegible]।

पत्रावली पेश हुई। वादिगण मय वकील के निवेदन पत्रावली पेश हुई। वकील वादिगण ने निवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है अतः निवेदन कर को मामले में विधिवत [illegible] हो। वकील वादिगण व वादिगण के निवेदन पर उक्त प्रकरण को [illegible] हो तथा वादिगण को [illegible] विधिवत [illegible] पक्षकारान [illegible] लोक अदालत [illegible]

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर